न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 31 / 2021

1 पृथ्वी सिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दुर्गाप्रसाद पुत्र भूराराम।
2 रामोतार पुत्र भूराराम।
3 होशियार सिंह पुत्र भूराराम।
4 देशराज पुत्र रिछपाल।
5 हंसराज पुत्र रिछपाल।
6 धर्मेन्द्र पुत्र सतवीर।
7 ओमप्रकाश पुत्र जगदीश।
8 ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण।
9 पृथ्वीलाल पुत्र जयनारायण।
10 माडुराम पुत्र जयनारायण।
11 विनोद कुमार पुत्र जयनारायण।
12 दड़कली पत्नी जयनारायण।
13 बाई पत्नी जगदीश।
14 महेन्द्र पुत्र बोदुराम समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
15 मोहनराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सातड़ा तहसील व जिला चुरू।
16 रामोतार पुत्र रामजीलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 सत्यनारायण पुत्र रामजीलाल समस्त जाति मेघवाल निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी
पृथ्वीसिंह बनाम दुर्गाप्रसाद वगैरह अन्तर्गत धारा 251ए
आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर 08/2021
निर्णय दिनांक 30.03.2021

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

## –निर्णय–

दिनांकः– 11.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2021 में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251ए आरटी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अदालत मातहत के यहां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

3 व 1 व 15 ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने उपरोक्त रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. को दिनांक 30.03.2021 को स्वीकार कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्ध मान कर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागु नहीं होते है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन की नियम 69 के तहत जांच किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा केवल खसरा नम्बर 135 में से पश्चिमी सीमा में रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 2018 (1) रेव पेज 498 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सहखातेदारी की भूमि में धारा 251 ए के अंतर्गत विधिक प्रावधानों के विपरित रास्ते की मांग की है। अपीलांट के अपील मेमों की मद संख्या 2 के पैरा संख्या 4 में अपीलांट स्वयं स्वीकार करता है कि भूमि खसरा नम्बर 135 वाके डाडा फतेहपुरा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी की भूमि विधि अनुसार विभाजन का वाद कर ही रास्ता कायम करवाया जा सकता है। धारा 251 ए के प्रावधान के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि में एकसहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध आवेदन लाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सहखातेदारी की भूमि में धारा 251 ए के अंतर्गत विधिक प्रावधानों के विपरित रास्ते की मांग की है। अपीलांट के अपील मेमों की मद संख्या 2 के पैरा संख्या 4 में अपीलांट स्वयं स्वीकार करता है कि भूमि खसरा नम्बर 135 वाके डाडा फतेहपुरा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी की भूमि विधि अनुसार विभाजन का वाद कर ही रास्ता कायम करवाया जा सकता है। धारा 251 ए के प्रावधान के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि में एकसहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध आवेदन लाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

यहां यह अवश्य विचारणीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागु नहीं होते है किन्तु इस तकनिकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर विपरित असर नहीं होता है। अतः इस बिन्दु के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर